उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-104/2026/761 के-2/22-3-25-17(243)/2024

लखनऊ : दिनांक: 15 अप्रैल, 2026

शुद्धि-पत्र/आदेश

शासनादेश संख्या-75/2026/761 के-2/22-3-2025-17(243)/2024, दिनांक 20-03-2026 द्वारा केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-50605) पुत्र श्री प्यारे, निवासी ग्राम-भगता नगला, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ को श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य दयायाचिका के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के संतोषानुसार दो जमानते तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त किये जाने का त्रुटिपूर्ण आदेश निर्गत हो गया है।

2- अत: उक्त त्रुटि का निराकरण करते हुए सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के निर्गत पूर्व शासनादेश संख्या-75/2026/761 के-2/22-3-2025-17(243)/2024, दिनांक 20-03-2026 के स्थान पर यह आदेश करते हैं कि "उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ग) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-50605) पुत्र श्री प्यारे, निवासी ग्राम-भगता नगला, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-983/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ के आदेश दिनांक 22-03-2023 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15-08-2024 तक 01 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की अपरिहार तथा 01 वर्ष, 11 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।"

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

3- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in